

FORM NO- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखंड अधिकारी, मुकाम..... बयाना.....

..... अतरसिंह. आदि..... बनाम..... तुरसी बगैरह..... किरम
 मुकदमा..... प्रार्थना-पत्र 212 राज.टी.एक्ट..... नं..... सन..... 56/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.03.23	<p>एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र धारा 212 राज. टी. एक्ट के तहत पेश किया। हमने एडवोकेट प्रार्थी को एक पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के हक में कयास आता है कि अप्रार्थीगण मूल के विरुद्ध अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीखपेशी दिनांक 12.07.2023 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 1129 रकबा 0.09, 1130 रकबा 0.18, 1131 रकबा 0.33 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.60 हैक्ट. बाके ग्राम रसेरी तहसील बयाना के मौके की यथास्थिति बनाए रखे। उक्त आराजी में किसी प्रकार का रास्ता कायम नहीं करें पत्थर खण्डा आदि डालकर निर्माण नहीं करें। इस बाबत कोई आपत्ति हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय हाजा उपस्थित हों। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो और अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 12.07.2023 को पेश हो।</p> <p>12/3/23 रूपवास पक्षी पीठासीन अधिकारी को पेश हो पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/11/23</p> <p>रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना</p> <p>16/3/23 तुरसी बगैरह पीठासीन अधिकारी को पेश हो पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/3/23</p> <p>रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना</p> <p>05/24 150 ग्राम 300 अग्रणी 300 अग्रणी 300 अग्रणी 12/01/24 के पक्षी</p>	

12/11
24

अपवादा न
पीठासीन अधिकारी
पञ्जावली पूर्वानुसार दिनांक 21/12 को पेश है।
सिंडर
ओ/एस.डी.एम.

21/12 105-अभारत उपाय अर्ध काउंसिल
पालना नदी अथवा पालना सुविधा
की अनुमति 12/5/25 को प्रेम हल

12/5/25 - 105 अभारत उपाय अनुमति
13- 18/7/25 को प्रेम हल

10/7/25 105 अभारत उपाय अर्ध काउंसिल -
नदी अथवा पालना - सुविधा
अनुमति 10/10/25 को प्रेम हल

10/10/25 पीठासीन अधिकारी...
पञ्जावली पूर्वानुसार दिनांक... को पेश है।
23/12/25
सिंडर
ओ/एस.डी.एम.

3/12/25 प्रमुख पेश हुआ। 105 पार्सल उपाय
पूर्व आदेशों की पालना हेतु जम्बखंध
गंगा आदेशों की पालना हेतु अतिरिक्त अथवा
दिनांक 10/10/25 पञ्जावली 190 20/11/26 को
पेश है।

3/12/25 प्रमुख पेश हुआ। प्रमुख ने 105
अनुमति व उनके करीबी अनुमति प्रमुख
के जम्बखंध से बार-बार आवाज लगाई
गई। आवाज उपरान्त भी प्रमुख ने कोई

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल प्राप्ता

नम्बर व तारीख
हुकम जो हुकम
हुकम की तारीख में
प्राप्ति हुये

उपरोक्त नदी

अतः उपरोक्त नदी उत्तर पर
अपना धारा व अपना पानी नैव्यास
दिना जाता है फलावली के जल शुद्ध
देश नम्बर जे मग को वाड-तकनील
वापिस लक्ष्य है